

कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.)

क्रमांक 2505 / क / वि-स्था / 2013.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

// विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1734/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 व सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 04.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012 तथा संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर के पत्र क्रमांक 208/स्था-1/2013, दिनांक 8 फरवरी, 2013 द्वारा खाद्य शाखा, जिला कार्यालय, महासमुंद हेतु जारी पदों के आवंटन के अनुसार "वाहन चालक" के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्नानुसार योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से नीचे तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 06 जनवरी, 2014 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के सूचना पटल पर वेबसाइट "<http://mahasamund.gov.in>" / "<http://cg.nic.in/mahasamund>" में भी देखी जा सकती है:-

(1) वाहन चालक. (खाद्य शाखा हेतु) पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200+G.P 1900

क्र.	विवरण.	अ.जा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.
1.	वाहन चालक	-	-	-	01	01

(2) शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताएं:-

1-न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण.

2-हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्रायविंग लायसेंस (फोर व्हीलर)

(3) निर्धारित आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- 1- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
- 2- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.
- 3- आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.
- 4- राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.
- 5- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी.
- 6- छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी.

महत्वपूर्ण टीप:- (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3, दिनांक 27.09.2013 के अनुसार सीधी भरती के पदों पर की जाने वाली भरती में केवल एक बार के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गयी है। विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को

मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 के संदर्भ में की जाएगी।

(4) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देशों/जानकारी:-

- 1- आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.
- 2- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें.
- 3- आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है.
- 4- आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.
- 5- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.
- 6- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06 जनवरी, 2014 तक "कार्यालय कलेक्टर, बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 493445" के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा हाथों-हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 7- विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.
- 8- उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी-वृद्धि की जा सकती है.
- 9- आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम "वाहन चालक खाद्य शाखा हेतु" तथा आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/-रु. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'x4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.
- 10- आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।
- 11- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- 12- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
- 13- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी.
- 14- छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा.
- 15- विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार "कलेक्टर, जिला महासमुंद" का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा.
- 16- विज्ञप्ति से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाईट "<http://mahasamund.gov.in>" / "<http://cg.nic.in/mahasamund>" में देखी जा सकती है.

(5) नियुक्ति के लिए अपात्रता:-

- 1- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.
- 2- कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या

(3)

उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया:-

चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जावेगी। वाहन चालक के पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं स्कूटनी के पश्चात अर्हताधारी पात्र आवेदकों को वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा तथा इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1-वाहन चालन के कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु. | - | 80 अंक. |
| 2-साक्षात्कार हेतु. | - | 20 अंक. |
| 3-कुल अंको का निर्धारण. | - | 100 अंक |


कलेक्टर
महासमुंद

आवेदन पत्र का प्रारूप.

प्रति,

कलेक्टर,
जिला महासमुंद (छ.ग.)

- (1) आवेदित पद का नाम. _____
- (2) आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____
- (3) पिता/पति का नाम. _____
- (4) (अ) जन्म तिथि अंको में _____
(ब) शब्दों में. _____
(स) दिनांक 01.01.2014 को आयु. वर्ष _____ माह _____ दिन _____
- (5) लिंग (पुरुष/महिला) _____
- (6) शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता. _____

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम.	उत्तीर्ण करने का वर्ष.	कुल अंक.	प्राप्तांक.	प्रतिशत.
1	2	3	4	5	6	7

- (7) पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता. _____
- (8) स्थायी पता. _____
- (9) दूरभाष/मोबाईल नम्बर. _____
- (10) रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (सत्यापित प्रति संलग्न करें) _____
- (11) वैध स्थायी ड्रायव्हिंग लायसेंस (हल्के वाहन-फोर व्हीलर) विवरण वैधता की तिथि सहित. _____
- (12) क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव. के सदस्य हैं ? यदि हां तो उल्लेख करें। _____
- (13) क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) . _____
- (14) क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं. _____
- (15) यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि. _____
- (16) जीवित संतान की संख्या _____
- (17) यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि _____
- (18) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची. 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____

दिनांक :- _____
स्थान :- _____

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम.

घोषणा.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :- _____
स्थान :- _____

आवेदक के हस्ताक्षर